<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राम इन्फोटेक, शॉप नम्बर-1, प्रथम तल, आर-26, रेलवे कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**027 / 13, 14.06.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री राम इन्फोटेक, शॉप नम्बर-1, प्रथम तल, आर-26, रेलवे कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 14.06.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा रैम (RAM) तथा पेन ड्राइव की बिक्री पर करदेयता की दर स्पष्ट करने की प्रार्थना की गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 05.09.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। एक लिखित उत्तर दिनांक 18.09.2013 को दिया, जिसमें कहा गया कि we request your honour to please decide the issue based on submissions on record & pass an speaking order based on evidence on record.

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-645, दिनांक 16.08.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 पर कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड पेरीफैरल्स को 4% की दर से करयोग्य किया गया है। उक्त प्रविष्टि से यह विदित होता है कि कम्प्यूटर सिस्टम AS a Whole की बिक्री पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से कर देय है। रैम (RAM) तथा पेन ड्राइव न तो कम्प्यूटर सिस्टम में आते हैं और न ही कम्प्यूटर पेरीफैरल्स में आयेंगे। रैम (RAM), कम्प्यूटर पार्ट्स है तथा पेन ड्राइव पेरीफैरल्स में सम्मिलित नहीं है। पेन ड्राइव की भॉंति ही प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं सी0 डी0 तथा डी0 वी0 डी0 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-04 पर पृथक रूप से 4% की दर से देय किया गया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि पेन ड्राइव जो कि सी0 डी0 की भॉंति ही प्रयुक्त होता है पर, कर की दर, अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति ही रहेगी क्योंकि सी0 डी0 अथवा डी0 वी0 डी0 पर कर की दर 4% करने के उद्देश्य से ही उसे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II के अन्तर्गत विज्ञापित किया गया है। अत: रैम (RAM) व पेन ड्राइव, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी भी कर अनुसूची में विज्ञापित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से कर देय होना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों में कहा गया है कि RAM एवं Pen Drive, Computer Peripherals के अन्तर्गत आते हैं। इस सन्दर्भ में Indian Institute of Information Technology, Allahabad के प्रोफेसर श्री एम0 राधाकृष्णन के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, तथा वेबसाइट www.alibaba.com की प्रति प्रस्तुत की। इसके पूर्व www.indiatimes.com की भी प्रति प्रस्तुत की थी। धारा-59 के प्रार्थना-पत्र के साथ Peripheral की परिभाषा

.....2

के सन्दर्भ में Wikipedia का भी सन्दर्भ प्रस्तुत किया था।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 पर " Computer system and peripherals " की प्रविष्टि अंकित है। प्रार्थी द्वारा RAM तथा Pen Drive को इस प्रविष्टि से आच्छादित कहा जा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा Indian Institute of Information Technology, Allahabad का जो प्रमाण-पत्र दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि " computer memory is an internal and integral part of the computer system. " इसी भाँति Pen Drive के सन्दर्भ में कहा गया है कि यह external memory elements है। यह भी कहा गया है कि इन्हें क्रमश: internal memory peripheral तथा external memory peripheral device में माना जा सकता है। प्रमाण-पत्र कर की दर के सम्बन्ध में नहीं है। इससे RAM computer part तो प्रमाणित होता है, किन्तु computer peripherals प्रमाणित नहीं होता है। इसी भाँति Pen Drive भी memory storage device प्रमाणित है। इसे भी computer peripheral नहीं माना जा सकता है।

जहाँ तक प्रार्थी द्वारा alibaba.com एवं indiatimes.com की वेबसाइट पर प्रोडक्ट के उल्लेख का प्रश्न है, यह वेबसाइट आनलाइन शॉपिंग से सम्बन्धित है। indiatimes.com की वेबसाइट पर RAM को computer component की श्रेणी में रखा गया है। alibaba.com की वेबसाइट पर product का नाम स्पष्ट नहीं है, किन्तु इसमें भी यह प्रोडक्ट कम्प्यूटर मेमोरी की श्रेणी में अंकित है।

Wikipedia की परिभाषा में peripheral को ऐसी device माना गया है जो कम्प्यूटर का पार्ट न हो तथा यह कम्प्यूटर की auxiliary device है। RAM स्पष्ट रूप से कम्प्यूटर का पार्ट है। पेन ड्राइव external memory device है। यह न तो computer system है एवं न ही peripherals है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता निर्धारित की जानी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि रैम (RAM) तथा पेन ड्राइव, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची के किसी भी भाग में उल्लिखित नहीं है। ये दोनों वस्तुएं Computer system and peripherals, से भिन्न हैं। अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 नवम्बर, 2013

ह0 / 29.11.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।